लेखा-योग

एफ सी एम सी बिल २००५ - भाग २ | अङ्क १०७ नवम्बर-०४, (जुलाई- ०५ में प्रकाशित)

इस अङ्क में

जन-सेवी संस्थाओं (एन पी ओ) को प्रभावित करने वाले परिवर्तन (गताङ्क से) १

६. विअविअ का विकेन्द्रीकरण १

७.शुल्क का भुगतान १

८. प्रशासन सम्बन्धी व्ययों के लिए तीस प्रतिशत २

९. विअविअ का नवीनीकरण २

१०. विअविअ का निरस्तीकरण २

११. विअविअ प्रमाण-पत्र का निलंबन ३

१२. पूर्वानुमति ३

१३. सुनिश्चित योजना वाले व्यक्ति ३

१४. शासी-निकाय में परिवर्तन ४

शब्दावली ४

लेखा-योग की अंक १०६ से आगे ...

जन-सेवी संस्थाओं (एन पी ओ) को प्रभावित करने वाले परिवर्तन (गताङ्क से)

६. विअविअ का विकेन्द्रीकरण

वर्तमान विअविअ की एक अन्य कठिनाई दिल्ली में इसका केन्द्रीकृत प्रशासन है। इससे सुदूर स्थानों पर रहने वाले लोगों के लिए समस्याएँ उत्पन्न होती है।

विअप्रनि (एफ सी एम सी) बिल में केन्द्र सरकार से पृथक एक "पञ्जीकरण प्राधिकरण" के गठन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि एक बार एफ सी एम सी के अधिनियम बन जाने पर सरकार विअविअ के पञ्जीकरण तथा प्रशासन को विकेन्द्रित कर देगी। यह कार्य सम्भवतः विअविअ के क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना करके किया जाएगा।

७. शुल्क का भुगतान

एफ सी एम सी बिल में एक अनोखी नवीन-प्रक्रिया का समावेशन शुल्क-भुगतान है। इस बिल में निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए पृथक शुल्क का प्रावधान किया गया हैः

- एफ सी एम सी पञ्जीकरण[1];
- एफ सी एम सी पञ्जीकरण[2] को मना करने के विरुद्ध अपील;
- एफ सी एम सी पञ्जीकरण का नवीकरण[3];
- एफ सी एम सी प्रमाण-पत्र[4] को निरस्त करने के विरुद्ध अपील; और
- आदेश के संशोधन[5] के लिए आवेदन करने के लिए

इस शुल्क का विचार कैसे उत्पन्न हुआ ? संभवतः यह विचार इस तथ्य पर आधारित है कि अधिनियम "विनियमन" से "प्रबन्धन एवं नियंत्रण" में परिवर्तित हो रहा है। इसलिए लोगों से यह आशा की जाती है कि वे अधिनियम के अन्तर्गत प्रदान की जा रही सेवाओं के लिए भुगतान करें।

[1] धारा १२ (१)

[2] धारा १२ (५)

[3] धारा १६ (२)

[4] धारा १४ (४)

[5] धारा ३२ (५)

८. प्रशासन सम्बन्धी व्ययों के लिए तीस प्रतिशत

इस बिल की यह एक अन्य अनूठी विशेषता है। अब सरकार के पास उस प्रतिशतता[६] को निर्धारित करने का अधिकार होगा जिसमें कोई भी जन-सेवी संस्था अपने प्रशासनिक व्यय[७] पर खर्च कर सकती है।

आप प्रशासनिक व्यय की गणना कैसे करेंगे? सरकार इसके सम्बन्ध में नियम भी तैयार करेगी[८]।

सरकार इस प्रकार की जटिलता[९] में क्यों सम्मिलित होना चाहती है? सम्भवतः ऐसा इस बिल का नया पूर्वाभिमुखीकरण होने के कारण है। यह "प्रबन्धन एवं नियंत्रण..." नामक नए शीर्षक में भी परिलक्षित होता है।

[६] सरकार ३० % से अधिक व्यय न करने की सीमा विहित कर सकती है।

[७] प्रशासनिक प्रयोजन के लिए विदेशी अभिदाय को उपयोग में लाने सम्बन्धी प्रतिबन्ध। ८.(१) प्रत्येक वह व्यक्ति जो कि इस अधिनियम के अन्तर्गत पञ्जीकृत है और प्रमाण-पत्र या पूर्वानुमति प्रदान किया गया है तथा विदेशी अभिदाय प्राप्त करता है;-

क) वह इस प्रकार के अभिदाय का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए करेगा जिस प्रयोजन के लिए अभिदाय प्राप्त हुआ है;

ख) वह इस प्रकार के अभिदाय की कुल तीस प्रतिशत से अधिक राशि को प्रशासनिक काम के लिए व्यय नहीं करेगा।

[८] धारा ८(२) केन्द्र सरकार वह पद्धति निर्धारित कर सकती है जिसमें उप-धारा १ में संदर्भित प्रशासनिक व्यय की गणना की जाएगी।

[९] नए एफसी-३ में दर्शाए जा रहे अत्याधिक प्रशासनिक व्यय से विअविअ विभाग कुछ चिन्तित था। हालाँकि, वास्तव में कोई भी यह नहीं जानता था कि एक एनपीओ प्रशासनिक-व्यय पर कितना व्यय करता है। आंशिक रूप से ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्यय कार्यात्मक प्रयोजनों (प्रशासन, कार्यक्रम, धन-उपार्जन, आदि के आधार पर न दर्शा कर कुछ मानक लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत ही दर्शाए जाते हैं। इस प्रकार के प्रतिबन्धित नियम से सभंवतः लेखाङ्कन अधिक नवोन्मेष हो जाएगा तथा अङ्केक्षकों के लिए सिरदर्दी हो जाएगी।

९. विअविअ का नवीनीकरण

इस नए बिल के अन्तर्गत एक बार में पाँच वर्ष तक के लिए एफ सी एम सी का पञ्जीकरण किया जाएगा। तत्पश्चात् एफ सी एम सी पञ्जीकरण का नवीनीकरण प्रत्येक पाँच वर्ष के लिए किया जाएगा।

तीन वर्ष पूरे होने के पश्चात् इसके नवीनीकरण प्रक्रिया किसी भी समय शुरू की जा सकती है[१०]। यह प्रावधान इसलिए किया गया है कि प्रत्येक जन-सेवी संस्थाएँ अपना नवीनीकरण उचित समय पर करा सकें। हालाँकि, जन-सेवी संस्थाओं द्वारा अपने एफ सी एम सी पञ्जीकरण के नवीनीकरण करने की आवश्यकता को इस बिल में स्पष्ट नहीं किया गया है।

१०. विअविअ का निरस्तीकरण

वर्तमान अधिनियम में विअविअ पञ्जीकरण को निरस्त करने से सम्बन्धित कोई औपचारिक प्रावधान नहीं है। किन्तु, किसी भी जन-सेवी संस्था को विदेशी अभिदाय[११] स्वीकार करने के लिए पूर्वानुमति लेने या प्रतिबन्ध लगाने के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है। हालाँकि, व्यावहारिक रूप से इस प्रक्रिया का प्रभाव भी विअविअ पञ्जीकरण को निरस्त करने के समान ही होता है।

एफ सी एम सी बिल में एफ सी एम सी पञ्जीकरण को निरस्त करने के लिए उचित प्रावधान किया गया है। इसके लिए स्पष्ट कारणों[१२] का भी उल्लेख किया

[१०] प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण १६(१) प्रत्येक व्यक्ति जिसको धारा १२ के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र दिया गया है, उसको इस प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण इसकी अवधि समाप्त होने के दो वर्ष पहले करा लेना चाहिए।

३) पञ्जीकरण प्राधिकरण प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण उन नियमों एवं शर्तों के अन्तर्गत करेगी जोकि उनको उपयुक्त लगे तथा नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र पाँच वर्ष की अवधि के लिए दी जाएगी।

[११] विअविअ १९७६ की धारा १०

[१२] प्रमाण-पत्र को निरस्त करना १४.(१) केन्द्र सरकार यदि उचित जाँच-पड़ताल से सतुंष्ट हो तो एक आदेश देकर प्रमाण-पत्र निरस्त कर सकती है:-

क) यदि प्रमाण-पत्र धारक ने पञ्जीकरण करवाने या उसके नवीनीकरण करने के लिए आवेदन पत्र में कोई मिथ्या विवरण प्रस्तुत किया है; या

ख) यदि प्रमाण-पत्र धारक ने प्रमाण-पत्र या उसके नवीनीकरण के नियमों एवं शर्तों में से किसी शर्त का उल्लघंन किया है; या

गया है। एफ सी एम सी पञ्जीकरण के एक बार निरस्त हो जाने की स्थिति में इसका नवीनीकरण कम से कम तीन वर्ष के लिए नहीं कराया जा सकेगा।

प्रमाण-पत्र निरस्त होने के समय जन-सेवी संस्था के पास उपलब्ध राशि का क्या होगा ? यह राशि सरकार के संरक्षण में आ जाएगी। फिर सरकार ही इस राशि का प्रबन्धन करेगी[१३]।

११. विअविअ प्रमाण-पत्र का निलंबन

प्रमाण-पत्र निरस्त करने की प्रक्रिया में कुछ समय लगता है। इस समयावधि में बिल में एफ सी एम सी पञ्जीकरण के निलंबन के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। यह निलंबन अधिकतम ९० दिन की अवधि के लिए हो सकता है। निलंबन की अवधि में जन-सेवी संस्थाएँ कोई भी विदेशी अभिदाय स्वीकार नहीं कर सकती।

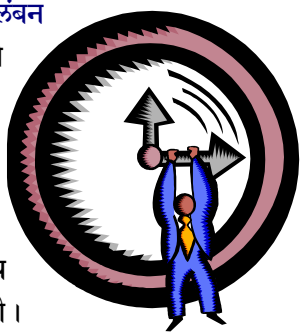

अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसी स्थिति में पहले से ही प्राप्त राशि का क्या होगा? इस राशि का उपयोग केवल विअविअ विभाग[१४] के पूर्वानुमोदन से ही किया जा सकता है।

१२. पूर्वानुमति

पूर्वानुमति प्राप्त करने की सुविधा वर्तमान प्रपत्र[१५] में भी है। इस समय इस प्रक्रिया के लिए अधिकतम सीमा ९०/ १२० दिन की होती है। तथापि, नए बिल में आवेदन-पत्र के प्रक्रमण के लिए किसी भी समय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है।

१३. सुनिश्चित योजना वाले व्यक्ति

वर्तमान विअविअ के अन्तर्गत केवल संस्थाओं को ही विअविअ पञ्जीकरण कराने की आवश्यकता होती है। ऐसा तब उस स्थिति में होता है जबकि उनके पास एक सुनिश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम[१६] हो।

नए एफ सी एम सी के अन्तर्गत ऐसे सभी व्यक्ति सम्मिलित हैं जिनके पास इस प्रकार का एक सुनिश्चित कार्यक्रम होता है[१७]। व्यक्ति कौन है?

ग) यदि पञ्जीकरण प्राधिकरण के मतानुसार पञ्जीकरण प्रमाण-पत्र को निरस्त करना सार्वजनिक हित में आवश्यक हो; या

घ) यदि प्रमाण-पत्र धारक ने इस अधिनियम या उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों या उसके अन्तर्गत जारी आदेशों के किसी भी प्रावधान का उल्लघंन किया हो।

३) कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका प्रमाण-पत्र इस धारा के अन्तर्गत निरस्त कर दिया गया है वह ऐसे प्रमाण-पत्र के निरस्त होने की दिनाङ्क से तीन वर्ष की अवधि के लिए पुनः पञ्जीकरण कराने का पात्र नहीं होगा।

[१३] जिस व्यक्ति का प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिया गया है, उस व्यक्ति द्वारा प्राप्त विदेशी अभिदाय का प्रबन्धन। १५(१) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसका प्रमाण-पत्र धारा १४ के अन्तर्गत निरस्त कर दिया गया है वह अपने संरक्षण में रखे विदेशी अभिदाय का निवेश ऐसे निर्धारित प्राधिकरण के मतानुसार करेगा।

(२) उप-धारा (१) में संदर्भित प्राधिकरण उप-धारा (१) में संदर्भित व्यक्तियों के विदेशी अभिदाय का प्रबंधन उस विधि तथा उन शर्तों के अनुसार करेगा जो कि निर्धारित की गई है।

[१४] प्रमाण-पत्र को निरस्त करना। १३(१) जिस प्रकरण में पञ्जीकरण प्राधिकरण लिखित में उल्लेख किए जाने वाले कारणों से संतुष्ट हो जाता है कि विचाराधीन प्रमाण-पत्र को धारा १४ की उप-धारा (१) में उल्लेखित कारणों में से किसी एक कारण से निरस्त किया जाना आवश्यक है तो वह आदेश में विनिर्मित किए अनुसार प्रमाण-पत्र को उस अवधि के लिए निरस्त कर सकता है जो कि नब्बे दिन से अधिक न हो।

३) प्रत्येक वह व्यक्ति जिसका प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिया गया है वहः-

क) प्रमाण पत्र के निरस्त होने की समयावधि में कोई भी विदेशी अभिदाय प्राप्त नहीं कर सकेगा;

ख) पञ्जीकरण प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से अपने संरक्षण में रखे विदेशी अभिदाय का उपयोग निर्धारित विधि से कर सकता है।

[१५] धारा ११(२) की उप-धारा (१) में संदर्भित प्रत्येक वह व्यक्ति, जो कि उस उप-धारा में पञ्जीकरण प्राधिकरण के अन्तर्गत पञ्जीकृत नहीं है, पञ्जीकरण प्राधिकरण की पूर्वानुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही कोई विदेशी अभिदाय स्वीकार कर सकता है।

[१६] अन्य प्रकार के कार्यक्रमों (जैसे- स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम, खेल सम्बन्धी कार्यक्रम, आदि) वाली संस्थाएँ विअविअ के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं होती। तथापि उनके किसी भी प्रकार के उद्देश्यों का सम्बन्ध सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक, या सामाजिक क्रियाकलापों से नहीं होना चाहिए।

[१७] पञ्जीकरण प्राधिकरण के पास कुछ व्यक्तियों का पञ्जीकरणः- ११(१) जैसे कि अधिनियम में अन्यथा प्रावधान किया गया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई सु-

बिल[१८] के अनुसार "व्यक्ति में निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं-

(i) कोई भी व्यक्ति

(ii) कोई हिन्दू अविभक्त परिवार;

(iii) कोई परिसंघ;

(iv) कोई कम्पनी;'

जबकि अंतिम दो पहले ही परिसंघ की वर्तमान परिभाषा में सम्मिलित थे। अब इस बिल में व्यक्ति तथा हिन्दू अविभक्त परिवार[१९] को भी सम्मिलित कर लिया गया है।

१४. शासी-निकाय में परिवर्तन

वर्ष १९९६ में विअविअ विभाग ने एफ सी-८ प्रारूप में संशोधन किया था। तदानुसार, यदि शासी-निकाय में ५०% सदस्यों का परिवर्तन हो जाए तो

पञ्जीकरण को निष्क्रिय माना जाता है। यह पञ्जीकरण तब तक निष्क्रिय रहेगा जब तक विअविअ विभाग नए सदस्यों के सम्बन्ध में संतुष्ट नहीं हो जाता। इस परिवर्तन से जन-सेवी संस्थाओं में बहुत भ्रम उत्पन्न हो गया और कुछ लोग चुनाव कराने से ही बचने लगे।

नए एफसीएमसी बिल में इस प्रावधान का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसी सभांवना है कि एफसीएमसी बिल के एक बार पारित हो जाने पर इस प्रतिबंध को उठा लिया जाएगा।

लेखा-योग के अंक संख्या १०८ में क्रमशः...

निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक, या सामाजिक कार्यक्रम है, वह तब तक विदेशी अभिदाय स्वीकार नहीं कर सकता जब तक कि वह पञ्जीकरण प्राधिकरण से पञ्जीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं कर लेता।

[१८] एफसीएमसी बिल की धारा २(१)(ट)

[१९] हिन्दू अविभाजित परिवार, एक परम्परागत संयुक्त परिवार जिसको संवैधानिक रूप से एक व्यवसायिक इकाई के रूप में मान्यता प्रदान की गई है जो कि कर निर्धारिती है।

शब्दावली

केन्द्रीकृत - सेन्ट्रलाईज़्ड्

पञ्जीकरण - रजिस्ट्रेशन

परिलक्षित - रिफ्लेक्टेड्

परिसंघ - एसोसिएशन

पूर्वाभिमुखीकरण - ओरिऍन्टेशन

पूर्वानुमोदन - प्रायर-अप्रुवल

पूर्वानुमति - प्रायर-परमिशन

प्रक्रमण - प्रोसेसिङ्ग

प्रमाण-पत्र - सर्टिफिकेट

प्राधिकरण - अथॉरिटी

नवीनीकरण - रिन्यूवल

नवोन्मेष - इनोवेटिव

निरस्त - केन्सिलेशन

विकेन्द्रित - डिसेन्ट्रलाइज़्ड्

संरक्षण - कॅस्टडी

लेखा·योग क्या है - 'मानक हिन्दी कोश' के अनुसार योग के कम से कम ४० अर्थ होते हैं। गणित में योग का अर्थ है दो संख्याओं को जोड़ना। आध्यात्मिक रूप से योग का अर्थ तपस्या अथवा साधना होता है। श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने निष्काम कर्म को योग बताया है। लेखा कर्म में यह तीनों भाव अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। यदि लेखाकार लेखा लिखने और योग लगाने में योगफल की चिन्ता न करें तो अवश्य ही संस्थाओं के लेखा-जोखा में सुधार होगा। लेखा·योग का यही उद्देश्य है।

लेखा·योग हर माह प्रकाशित होता है। इसमें जन-सेवी संस्थाओं के नियमन व लेखा प्रणाली से सम्बन्धित विषयों पर चर्चा की जाती है। यह विभिन्न जन-सेवी संस्थाओं, दातव्य संस्थाओं, व अङ्केक्षण प्रतिष्ठानों (ऑडिट फर्म) में लगभग २७०० व्यक्तियों को वितरित किया जाता है। लेखा·योग के प्रत्युत्पादन या पुनर्वितरण को अकाउण्टएड इण्डिया प्रोत्साहित करता है यदि ऐसा अव्यवसायिक उद्देश्य से किया जाए एवं इनके स्रोत को अभिस्वीकार किया जाए।

आँग्ल भाषा में लेखा·योग - This issue of Lekha·Yog is available in English as AccountAble.

लेखा·योग का वाभ-स्वरूप - लेखा·योग के सभी पुराने अङ्कों के आँग्ल संस्करण (AccountAble) हमारे वाभ-स्थल www.AccountAid.net पर उपलब्ध हैं। इनका हिन्दी वाभ-स्वरूप कुछ समय पश्चात् प्राप्त हो सकेगा।

विधि-व्याख्या - यहाँ पर उल्लेखित विधि की व्याख्या साधारण जानकारी हेतु की गयी है। अतः निवेदन है कि कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व अपने परामर्शदाताओं से सम्मति ले लें।

पत्राचार - आपके प्रश्नों और सुझावों का स्वागत है। हमारा पता है - अकाउण्टएड इण्डिया, ५५-बी, खण्ड सी, सिद्धार्थ विस्तार, नई दिल्ली-११० ०१४; दूरभाष- ०११-२६३४ ३१२८, दूरभाष/प्रतिरूप प्रेषिका - २६३४ ६०४१; ई-प्रेष - accountaid@vsnl.com; accountaid@gmail.com

© AccountAid™ India विक्रम संवत् आषाढ़ २०६२; जुलाई २००५ ईस्वी।